न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 102/2011

1 रामचन्द्र पुत्र हीरालाल।
2 सन्तोष देवी पत्नी ताराचन्द।
3 अनिता पुत्री ताराचन्द।
4 जितेन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द।
5 नीतु कुमारी पुत्री ताराचन्द।
6 मनोज कुमार पुत्री ताराचन्द।
7 प्रकाशचन्द पुत्र हीरालाल।
8 रमेशचन्द पुत्र हीरालाल।
9 सुभाषचन्द पुत्र हीरालाल।
10 चन्द्रशेखर पुत्र हीरालाल समस्त जाति मीणा निवासीगण धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 विमला पुत्री हीरालाल पत्नी मूलाराम जाति मीणा निवासी चित्रकूट कॉलोनी झोटवाड़ा जयपुर जरिये मुख्तयार रामचन्द्र पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम धोलसरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मु0 धापली पत्नी बोदुराम।
2 प्रभू पुत्र बोदुराम।
3 गोपाल पुत्र बोदुराम।
4 नोरती उर्फ ग्यारसी पत्नी हरचन्दा।
5 नन्दु नाबालिग पुत्र हरचन्द उर्फ हरिश।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 राजू उर्फ राजकुमार नाबालिग पुत्र हरचन्द उर्फ हरिश।
7 शंकर नाबालिग पुत्र हरचन्द उर्फ हरिश।
8 ज्योति नाबालिग पुत्री हरचन्द उर्फ हरीश जरिये सरंक्षिका प्राकृतिक माता गौरती उर्फ ग्यारसी पत्नी हरचन्दा उर्फ हरीश निवासीगण रलावता तहसील फूलेरा जिला जयपुर।
9 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 श्रीमती संगीता देवी धर्म पत्नी श्याम सुन्दर जाति मीणा निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 उप पंजियक अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व
आदेश दिनांक 23.08.2011 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी दांतारामगढ़ सीकर पीठासीन अधिकारी
श्री आन.आर.बगड़िया आर.ए.एस. प्रकरण संख्या
177/2010 टी.आई. उनवानी हीरालाल बनाम धापली

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.02.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 177/2010 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट रामचन्द्र की और से धारा 212 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 67 से 70, 86/762 बाबत दिनांक 19.11.2010 को एक पक्षीय स्थगन प्राप्त किया गया। इस आवेदन में अप्रार्थी संख्या 6 की और से आवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत आवेदन से सम्बंधित मूल वाद खारिज हो चुका है। उस वाद को नम्बर पर लेने से पूर्व धारा 212 का आवेदन पोषणीय नही है। यह भी निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 6 वाद में पक्षकार नही थी अत उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। स्थगन खारिज किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई स्थगन आदेश दिनांक 19.11.2010 को विचाराधीन निर्णय से अपास्त किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को जवाब देही व बहस का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। मूलवाद मे अपीलांट द्वारा आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 का आवेदन पेश कर रखा है, जो जवाब में चल रहा है। पक्षकारो के हितो का निर्धारण मूलवाद में होना है। इससे पूर्व विवादित भूमि के सन्दर्भ में स्थगन जारी किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय से स्थगन खारिज किया है। अत अपील स्वीकार कर दावे के निर्णय तक स्थगन जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मूलवाद में पक्षकार हुये बगैर किसी प्रकार का स्थगन आवेदन चलने योग्य नही है। मूलवाद अदम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हाजरी में खारिज हो चुका है। इस वाद को पुन नम्बर पर नही लिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से स्थगन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। इस स्वकृत तथ्य है कि मूलवाद में पक्षकार हुये बगैर किसी प्रकार का स्थगन आवेदन चलने योग्य नही है। मूलवाद अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। इस वाद को पुन नम्बर पर नही लिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से स्थगन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर